

निविदा सूचना

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक संख्या: 63 /84-2-2020/84-2010(099)/2/2020 दिनांक: 25 जनवरी, 2021

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम 2020 के तहत गठित चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उ.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग लखनऊ में 4 गैर न्यायिक सदस्य एवं जिला आयोगों में 7 सामान्य सदस्य एवं 37 महिला सदस्य के रिक्त पद पर चयन किये जाने हेतु; ऐसे आवेदक जो न तो राज्य सरकार और न तो केंद्र सरकार की सेवा में रहे हो और न ही न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, ऐसे लगभग 600 अभ्यर्थियों के लिए एक लिखित परीक्षा कराये जाने विषयक प्रकाशित निविदा विज्ञापन संख्या: 224 /84-2-2020/84-2010(099)/2/2020 दिनांक: 7 जनवरी, 2021 की तिथि अपरिहार्य कारणों से 25 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 01 फरवरी, 2021 अपराह्न 6:00 बजे तक एवं प्राप्त निविदा खोले जाने की तिथि बढ़ाकर दिनांक 2 फरवरी, 2021 अपराह्न 4:00 बजे की जाती है। उक्त निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी। उक्त निविदा राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in/> पर भी उपलब्ध है।



( अशोक कुमार मिश्र )

उप सचिव ,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ,

उ.प्र. शासन लखनऊ।